

सचिका संख्या-6 एस०एस०(6)04 / 2025-982 /

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

शुद्धि पत्र

डेयरी, मत्स्य पशु एवं संसाधन विभाग, बिहार, पटना के राज्यादेश संख्या-2050, दिनांक-08.05.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" के अनुलग्नक-VIII के कंडिका-3 अनुदान भुगतान की उप कंडिका- (xiii) "योजनान्तर्गत लाभार्थियों को देय अनुदान राशि का अनुमोदन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा विधिवत किया जायेगा। अनुमोदनोपरान्त जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक द्वारा लाभुकों के सहमति पत्र के आलोक में लाभार्थियों को देय अनुदान की राशि को सम्बन्धित एजेन्सी को भुगतान करने सम्बन्धी अपना अनुशंसा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा लाभार्थी को देय अनुदान राशि को जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक के अनुशंसा के आलोक में सम्बन्धित एजेन्सी के बैंक खाता में विमुक्त करेंगे" तथा (xiv) "निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना मत्स्य निदेशालय स्तर पर एक सेल गठित किया जाएगा ताकि सिंगल विन्डो के माध्यम से जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक के अनुशंसा के आलोक में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता-एजेन्सी के बैंक खाता में अनुदान की राशि विमुक्त किया जा सके" के स्थान पर -

(xiii) "योजनान्तर्गत लाभार्थियों को देय अनुदान राशि का अनुमोदन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा विधिवत किया जायेगा। अनुमोदनोपरान्त जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक द्वारा लाभुकों के सहमति पत्र के आलोक में लाभार्थियों को देय अनुदान की राशि को सम्बन्धित एजेन्सी के बैंक खाता में भुगतान/विमुक्त किया जायेगा" तथा

(xiv) "योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत तथा बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित राशि को जिलों के वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप कर्णांकित अनुदान की राशि को संबंधित जिला के चाइल्ड अकाउन्ट (Child Account) में स्थानांतरण किया जाएगा" शुद्ध रूप से पढ़ा एवं समझा जाय। राज्यादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी। प्रस्ताव में सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार रवीन्द्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)04 / 2025-982 / पटना-15, दिनांक- 23 / 02 / 2026.

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)04 / 2025-982 / पटना-15, दिनांक- 23 / 02 / 2026.

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)04/2025- 982 /पटना-15, दिनांक- 23 /02/2026.

प्रतिलिपि:- निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)04/2025- 982 /पटना-15, दिनांक- 23 /02/2026.

प्रतिलिपि:- मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)04/2025- 982 /पटना-15, दिनांक- 23 /02/2026.

प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)04/2025- 982 /पटना-15, दिनांक- 23 /02/2026.

प्रतिलिपि:- विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)04/2025- 982 /पटना-15, दिनांक- 23 /02/2026.

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 6 एस०एस०(6)04/2025- 982 /पटना-15, दिनांक- 23 /02/2026.

प्रतिलिपि:- विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव